

Filling no. RCS-A/249/2018

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 57 ए/2018

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/249/2018

CNR no. MP30010020042018

सिविल वाद क्रमांक 57 ए/2018

संस्थित दिनांक :-07/04/2018

1. राजकुमारी बेवा सरदार सिंह, उम्र-90 वर्ष,
 2. हरी सिंह पुत्र स्व0 सरदार सिंह, उम्र-70 वर्ष,
 3. रामप्रकाश पुत्र स्व0 सरदार सिंह, उम्र-65 वर्ष,
 4. हरगोविंद पुत्र स्व0 खचेरु सिंह, उम्र-60 वर्ष,
 5. सुल्तान सिंह पुत्र स्व0 खचेरु सिंह, उम्र-58 वर्ष,
 6. सोनेराम पुत्र स्व0 खचेरु सिंह, उम्र-50 वर्ष,
 7. महावीर सिंह पुत्र स्व0 खचेरु सिंह, उम्र-47 वर्ष,
 8. लाल सिंह पुत्र स्व0 खचेरु सिंह, उम्र-42 वर्ष,
- सभी निवासी-गुलाब बाग, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादीगण/आवेदकगण

//बनाम//

1. रामगोपाल पुत्र स्व0 राजाराम, उम्र-72 वर्ष,
निवासी-गुलाब बाग, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....असल प्रतिवादी/अनावेदक

2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....तरतीबी प्रतिवादी

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री उदय सिंह कुशवाह।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री राजेश सिंह कुशवाह (एन0डी0) अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय।

//आदेश//

(आज दिनांक 17.05.2018 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/18 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में कस्बा भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2605 क्षे0 0.136 हेक्टेयर (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमि" से निर्दिष्ट) पर स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि वंशवृक्ष के अनुसार सूबे पुत्र मुलू के उत्तराधिकारी वादीगण हैं और प्रतिवादी क्रमांक 1 का वादीगण के वंशवृक्ष से कोई संबंध नहीं है। विवादित भूमि वादीगण के पूर्वज सूबे पुत्र मुलू की भूमि थी, सूबे पुत्र मुलू अपने जीवनकाल में विवादित भूमि पर खेती करते रहे और तदनुसार वादीगण का कब्जा है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख खसरा व खतौनी संवत् 1999 (सन् 1942) में वादीगण के पूर्वज सूबे पुत्र मुलू का नाम मौरुषी कृषक के रूप में दर्ज था और इसके अतिरिक्त खाता क्रमांक 1114 की अन्य भूमियों पर भी उक्त सूबे पुत्र मुलू का नाम मौरुषी कृषक के रूप में दर्ज था। प्रतिवादी क्रमांक 1 के बाबा उमराव वादीगण के बाबा सूबे पुत्र मुलू के यहां नौकर के रूप में विवादित भूमि व अन्य कृषि भूमियों की देखभाल और पशुपालन आदि का कार्य करते थे। प्रतिवादी क्रमांक 1 के बाबा उमराव ने अपने अवयस्क पुत्र राजाराम का नाम संवत् 1999 के राजस्व अभिलेख में गलत तरीके से राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ कर दर्ज करा लिया और बेईमानी से विवादित भूमि हड़प ली। विवादित भूमि वादीगण की पैत्रिक भूमि है, वादीगण का ही कब्जा है और प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता राजाराम के नाम पर राजस्व अभिलेखों में गलत दर्ज की गयी है। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम बिना किसी अधिकार के दर्ज है, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपना नामांतरण निरस्त न कराते हुए दिनांक 12.12.2017 व दिनांक 30.01.2018 को यह धमकी दी कि वह विवादित भूमि किसी शक्तिशाली व्यक्ति को विक्रय कर देगा और उक्त तथ्यों के आधार पर सिविल वाद संस्थित किया गया है। विवादित भूमि पर वादीगण का स्वत्व व कब्जा है, प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है और वाद के लम्बन के दौरान कब्जे में हस्तक्षेप या विवादित भूमि विक्रय कर दिये जाने की दशा में वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को निषेधित किया जाये कि वह विवादित भूमि पर हस्तक्षेप न करे और विक्रय या अन्यथा हस्तांतरण भी न करे।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित भूमि पर पिछले 50 वर्षों से वादीगण के कथित पूर्वज सूबे पुत्र मुलू का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं रहा है बल्कि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रवर्तन के पूर्व से ही विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता राजाराम का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का ही स्वत्व व कब्जा था, वर्तमान में विवादित भूमि पर मकान बने हुए हैं और कृषि कार्य नहीं होता है। लगभग 40 वर्ष पूर्व ही विवादित भूमि का डायवर्सन हो चुका था, अलग-अलग भूखण्ड के रूप में विवादित भूमि का विक्रय लगभग 25 वर्ष पूर्व ही किया जा चुका है और अब विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई स्वत्व शेष नहीं है। संवत् 1999 के खसरा में भी सूबे पुत्र मुलू के कृषकत्व की अवधि का उल्लेख नहीं है, बाद के राजस्व अभिलेखों में कभी भी उक्त सूबे पुत्र मुलू या वादीगण के किसी पूर्वज या वादीगण का नाम दर्ज नहीं रहा है। विवादित भूमि का भूखण्डों के रूप में विक्रय प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता द्वारा किया जा चुका है, जिस पर क्रेतागण का कब्जा है और वादीगण का कोई स्वत्व या कब्जा नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के बाबा उमराव के पास पर्याप्त कृषि भूमियां थीं,

नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी और झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर वाद संस्थित किया गया है। विवादित भूमि पर वादीगण का कोई स्वत्व नहीं है, प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता राजाराम ने जमींदार से शिकमी काश्तकार के रूप में विवादित भूमि प्राप्त की और विधि के प्रवर्तन द्वारा भूमिस्वामी हो गये। प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता ने अपने स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमि का अलग-अलग भूखण्डों के रूप में विक्रय कर दिया है, वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के समर्थन में वादीगण की ओर से देवेन्द्र शर्मा का शपथपत्र, फोटोग्राफ व सर्वे क्रमांक 2603, 2603/1, 2603/2, 2608, 2609 के खसरा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत देवेन्द्र शर्मा के शपथपत्र में इस तथ्य का उल्लेख है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 2605 पर वादीगण की बैंगन की फसल है, वादीगण का ही कब्जा है परन्तु स्वयं वादीगण द्वारा कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस प्रक्रम पर शपथपत्र के आधार पर निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता है। फोटोग्राफ से इस तथ्य का अवधारण नहीं किया जा सकता कि फोटोग्राफ में दर्शित भूमि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 2605 है और उक्त दस्तावेज या फोटोग्राफ इस मामले से असंगत हैं।

7. वादीगण के अनुसार संवत् 1999 (वर्ष 1942) के राजस्व अभिलेख खसरा व खतौनी में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 2605 पर वादीगण के पूर्वज सूबे पुत्र मुलू का नाम दर्ज रहा है। खसरा संवत् 1999 (वर्ष 1942) की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह प्रकट है कि खाता क्रमांक 1114 की भूमि सर्वे क्रमांक 2605 के कॉलम नंबर 9 में शिकमी काश्तकार के रूप में सूबे पुत्र मुलू का नाम दर्ज है, इसी राजस्व अभिलेख के कॉलम नंबर 8 काश्तकार के कॉलम में "बसरह सदर हक मौरुषी" लेख है और इसी कॉलम में ऊपर राजाराम पुत्र उमराव का नाम दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संवत् 1999 के खसरा में ही विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 2605 के कॉलम नंबर 9 में शिकमी के रूप में सूबे पुत्र मुलू का नाम अवश्य दर्ज है परन्तु कॉलम नंबर 8 में काश्तकार के रूप में राजाराम पुत्र उमराव का नाम दर्ज है और वादीगण की ओर से प्रस्तुत खतौनी में भी सूबे पुत्र मुलू का नाम "शिकमी" के रूप में ही दर्ज रहा है।

8. राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज सूबे पुत्र मुलू का नाम विवादित भूमि पर "शिकमी" के रूप में अवश्य दर्ज रहा है, किन्तु खसरा संवत् 1999 (वर्ष 1942) के कॉलम नंबर 8 के अनुसार विवादित भूमि पर "काश्तकार" के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता राजाराम का नाम दर्ज रहा है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत संवत् 1999 (वर्ष 1942) के खसरे व खतौनी के बाद कभी भी विवादित भूमि पर वादीगण के पूर्वज सूबे पुत्र मुलू या सरदार सिंह के नाम की प्रविष्टि होने का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है और म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रवर्तन के अव्यवहित पश्चात के कोई भी खसरे या खतौनी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

9. वादीगण की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह प्रकट हो कि संवत् 1999 (वर्ष 1942) के खसरा या खतौनी के बाद कभी भी वादीगण या उनके पूर्वज का नाम विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा हो और म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रवर्तन के अव्यवहित पश्चात् के राजस्व अभिलेख में वादीगण के पूर्वज का नाम दर्ज होने का कोई अभिवचन भी नहीं है। वर्तमान राजस्व खसरे व खतौनी में विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम भूमिस्वामी व कब्जाधारी के रूप में दर्ज है, संवत् 1999 (वर्ष 1942) के खसरे में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता राजाराम पुत्र उमराव का नाम कॉलम नंबर 8 में काश्तकार के रूप में दर्ज है और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्ट्या मामला भी वादीगण के पक्ष में प्रकट नहीं होता है।

10. वादीगण की ओर से न्यायदृष्टान्त लीला पुरोहित एंड कं0 (मे0) तथा अन्य बनाम अरुण अग्रवाल तथा अन्य 2002 राजस्व निर्णय 54 एवं नगर पालिका परिषद्, मलाजखण्ड बनाम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट 2009 (पार्ट-2) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 57 प्रस्तुत किया गया है। लीला पुरोहित वाले मामले उपरोक्त में वाजिब-उल-अर्ज के अधिकार का विवाद था, इसी प्रकार नगर पालिका परिषद्, मलाजखण्ड वाले मामले में स्वीकृत रूप से वादी का कब्जा था और उक्त दोनों न्यायदृष्टान्त इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण इस मामले में प्रयोज्य नहीं हैं।

11. वादीगण की ओर से प्रस्तुत देवेन्द्र सिंह के शपथपत्र में इस तथ्य का कथन है कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा है और वादीगण की बैंगन की फसल लगी है। सम्पूर्ण वादपत्र में इस तथ्य का कोई अभिवचन नहीं है कि विवादित भूमि पर वादीगण ने बैंगन की फसल लगा रखी है, स्वयं वादीगण की ओर से कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं है, राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2017-18 में विवादित भूमि पर भूमिस्वामी व कब्जाधारी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज है और इस प्रक्रम पर उक्त देवेन्द्र सिंह के शपथपत्र के आधार पर वादीगण का कब्जा भी प्रकट नहीं है।

12. वादीगण की ओर से बलपूर्वक तर्क किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने अभिवचन में यह नहीं बताया है कि विवादित भूमि अलग-अलग भूखण्ड के रूप

में किसको विक्रय की गयी है और प्रतिवादी क्रमांक 1 जिन भूखण्डों के विक्रय का तथ्य प्रकट कर रहा है वह भूखण्ड सर्वे क्रमांक 2603 से सम्पृक्त हैं। उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि पर प्रथम दृष्ट्या भी वादीगण का स्वत्व या कब्जा प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा विवादित भूमि के कथित क्रेतागण के नाम प्रकट करने में लोप मात्र से वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला या सुविधा का संतुलन नहीं माना जा सकता है।

13. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है। वाद के लम्बन के दौरान अंतरण की दशा में धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 वादीगण के हितों को संरक्षित करती है और वादीगण को अपूर्णनीय क्षति भी नहीं होती है। विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा में प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम भूमिस्वामी व कब्जाधारी के रूप में दर्ज है और सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है।

14. अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु तीनों आवश्यक बिन्दु वादीगण के पक्ष में नहीं पाये गये हैं, अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/18 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)